बीएड कर रहे छात्र ने खाया जहर, मौत

इन्दौर । बीएड कर रहे एक छात्र ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मामले में बताया जा रहा है उसने अपनी बेरोजगारी के चलते तंग आकर यह कदम उठाया। मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र का है। चंदन नगर थाना पुलिस के अनुसार मृतक का रोहन पिता रामेश्वर राजपूत उम्र बीस साल निवासी सिरपुर है। पुलिस को पूछताछ में उसके दोस्त सुनील सोलंकी से जानकारी मिली कि रोहन मूलतः बुधनी का रहने वाला था तथा भोपाल से बीएड कर रहा था। फिलहाल इन्दौर में अपने दो दोस्तों के साथ सिरपुर में रूम किराए पर लेकर रह रहा था। जिस समय उसने यह कदम उठाया उसके रूम मेट बुधनी गए हुए थे। वह अपनी बेरोजगारी से परेशान था उसने कुछ दिनों स्विगी में डिलीवरीबॉय और ऑफिस वर्क भी किया था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा मामला दर्ज कर जांच कार्रवाई शुरू कर दी है।

सरकारी जमीन पर काटी कालोनी, केस दर्ज

इंदौर। सरकारी जमीन पर कालोनी काटने वाले कालोनाइजर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। थाना तेजाजी नगर पुलिस ने राजस्व निरीक्षक कैलाश चौधरी की रिपोर्ट पर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कब्जा कर कालोनी काटने वाले आरोपी आशीष पिता श्यामलाल वर्मा निवासी जूनी इंदौर के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी कालोनाइजर आशीष वर्मा ने ग्राम मोरोद नेहरू स्थित भूमि पर अवैध कब्जा कर अवैध कालोनी काट दी।

वायरल किए फोटो

इंदौर। बाणगंगा के मरीमाता इलाके में रहने वाली एक महिला ने रामकृष्ण कुर्मी नाम की इंस्टाग्राम आईडी से उसके फोटो एडिट कर अश्लील कमेंट्स के साथ वायरल करने की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता ने बताया कि इस आईडी से उसकी आईडी पर भी धमकियां आ रही है।जब इस आईडी पर आरोपी से कहा गया कि वह उसे नहीं जानती तो आरोपी अपशब्दों का उपयोग करने लगा। इस दौरान उसका नंबर मांगा तो उसने नंबर भेजा। इस पर समझाने के दौरान भी आरोपी अपशब्द कहता रहा। पुलिस ने मामले मे आरोपी पर केस दर्ज किया है।

ढाई किलो गांजे के साथ धराया

इंदौर। एक तस्कर को ढाई किलो गांजे के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। द्वारकापुरी पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर श्रीजी वाटिका के सामने सर्विस रोड से तुकाराम पिता पहाडसिया मेहते (35) निवासी- ग्राम पलासमेर जिला धुलिया (महाराष्ट्र) को पकड़ा। इसके कब्जे से ढ़ाई किलो गांजा बरामद किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी खेतों में मजदूरी के बहाने गांजा तस्करी का का काम कर रहा था। आरोपी महाराष्ट्र से गांजा लाकर इंदौर में किसी अंकित नाम के व्यक्ति को देता था। इस संबंध में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

पत्नी से तलाक और शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म

इंदौर (नगर संवाददाता)। एक फीज मैकेनिक के खिलाफ महिला ने रेप का केस दर्ज कराया है। मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है। इलाके में रहने वाले इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से तलाक की बात कहकर संबंध बनाए। उसने महिला को शादी का झांसा दिया। महिला के पति की मौत हो चुकी है। द्वारकापुरी पुलिस ने दीपक डिंडोकर के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया है। महिला ने बताया कि पति का 2 साल पहले देहांत हो चुका है। मैं पहले पंढरीनाथ इलाके में रहती थी। दीपक यहां फ्रीज सुधारने आया था। उससे पहचान बढ़ गई। दीपक को पता था कि मेरे पति की मौत हो चुकी है। उसने मुझसे कहा कि उसका पत्नी से विवाद चल रहा है। कोर्ट में तलाक का केस लगा है। उसने तलाक के बाद मुझसे शादी करने का वादा किया था। दीपक ने बातों में लेकर महिला का मकान खाली करवा दिया और दूसरी जगह अपने साथ रखने लगा। मई 2024 से जनवरी 2025 तक वह साथ रहा। करीब 2 माह पहले उसने मोबाइल उठाना बंद कर दिया। 25 जनवरी के बाद उससे संपर्क नहीं हुआ। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत काम किया है। वही उसे किराए के कमरे में झूठ बोलकर रखा है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। आरोपी की तलाश की जा रही है।

नकदी-जेवर ले भागे चोर

इंदौर। चोरों ने दो सूने मकानों को निशाना बनाया और जेवरात और नकदी सहित लाखों का माल ले भागे। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तेजाजी नगर पुलिस के मुताबिक चोरी की वारदात श्रीकृष्ण एवेन्यू में रहने वाले देवेंद्र पिता पन्नालाल कछावा के मकान में हुई। फरियादी ने पुलिस को बताया कि अज्ञात आरोपी दरवाजे का नकुचा तोड़कर घर में घुसे और सोने के जेवर के साथ नकदी ×5 हजार रूपए चुरा ले गए। इधर कनाड़िया पुलिस ने बताया कि चोरी की घटना बिचौली मदार्ना इलाके में हुई।

पुराने विवाद में किया हमला

बाइक से आए बदमाशों ने सीने में मारा चाकू

इंदौर (नगर संवाददाता)। एक युवक पर बाइक से आए बदमाशों ने हमला करते हुए सीने में चाकू मार दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। बताया जाता है कि आरोपियों का युवक से पुराना विवाद चल रहा था।

घटना एरोड्रम थाना क्षेत्र की है। पुलिस के मुताबिक गांधी नगर निवासी नमन पिता श्याम सिंह गौतम की शिकायत पर आरोपी सागर उर्फ छोटू परदेशी व उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया हैं।फरियादी ने पुलिस को बताया कि घटना बांगड़दा चौराहा की है। मेरे पास सागर उर्फ छोटू परदेशी निवासी गांधीनगर मोटरसाईकल से अपने साथियो के साथ आया और गालियां देने लगा। जब मैने गालियां देने से मना किया तो बोला कि तुझे समझाया तू नही मान रहा है आज तुझे बताता हूँ फिर सागर उर्फ छोटू परदेशी व उसके अन्य साथी मेरे साथ हाथ मुक्के से मारपीट करने लगे ।इस दौरान आरोपी सागर उर्फ छोटू परदेशी ने एक चाकू जेब से निकालकर मेरे सीने पर दाहिनी तरफ,पीठ पर बायी तरफ व दाहिनी जांघ पर मारा जिससे मुझे खून निकलने लगा।

यहां भी चाकूबाजी

उधर, लेन देन के विवाद में आरोपी ने फरियादी पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस के मुताबिक घटना बाबू मुराई कालोनी में हुई। पुलिस ने फरियादी संजय पिता रामचंद्र की रिपोर्ट पर रोहित पिता गोपाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया। फरियादी ने पुलिस को बताया कि रोहित की गर्ल फ्रेंड ने मेरी पत्नी ललिता से कहा कि मैं आपके बैंक खाते में पैसे डाल देती हूं। इस पर मेरी पत्नी ने बोला कि मेरा एटीएम कार्ड ब्लाक है तुझे पैसे देना है तो रोहित को दे दे। इसी बात को लेकर रोहित मेरे पास आया और बोला कि तू बहुत तेज चल रहा है और गालियां देने लगा। मैंने उसे गाली देने से मना किया तो उसने चाकू से वारकर घायल कर दिया।

गाली देने से रोकने पर भिड़ गए बदमाश

इधर एक युवक के परिवार की महिलाओं को बदमाश गालियां दे रहे थे जब युवक ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उस पर हमला करते हुए उसे घायल कर दिया। राजेंद्र नगर पुलिस ने बताया कि प्रवीण पिता दामोदर मोरे निवासी कुंदन नगर की शिकायत पर क्षेत्र में ही रहने वाले आशीष और उसके अन्य साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रवीण ने पुलिस को दर्ज शिकायत में बताया कि आशीष और उसके दो दोस्त मेरी मां पार्वतीबाई, पत्नी कविता और बहन रविना को गालियां दे रहे थे।जैसे ही मैं बाहर निकला और गाली देने का विरोध किया तो आरोपी साथ मारपीट करने लगे।इस दौरान अपने हाथ में रखी किसी नुकीली चीज से आशीष ने बायी भुँजा पर मारा जिससे चोट आकर खून निकलने लगा,तभी उसके दो दोस्त भी मेरे साथ हाथ घूंसों से मारपीट करने लगे जिससे मुझे दाहिने तरफ पसलियों पर तथा चेहेरे पर चोट आई।

छोटी भमोरी स्थित कुलर के कारखाने में लगी आग

प्रापर्टी ब्रोकर को आफिस के बाहर पीटा, वीडियो वायरल

इंदौर (नगर संवाददाता)। मारपीट के मामले में एक वीडियो सामने आया है। एक प्रॉपर्टी ब्रोकर को उसके ऑफिस के बाहर कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा। हालांकि, अन्नपूर्णा पुलिस ने बयान के आधार पर ब्रोकरशिप का काम करने वाले व्यक्ति की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

अन्नपूर्णा पुलिस के अनुसार, सुदामा नगर निवासी योगेश पिता खेमचंद राठी की शिकायत पर शुभम शर्मा और उसके 4 से 5 साथियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। योगेश ने बताया कि वह प्रॉपर्टी और जनरेटर किराए पर देने का काम करते हैं। 23 मार्च की रात, वह घर के पास एक सिगरेट की दुकान पर गए थे, जहां दीपक शर्मा भी मौजूद था। सिगरेट का धुआं उड़ाने की बात को लेकर दीपक ने बीच-बचाव करने की कोशिश की। बाद में योगेश को गंभीर हालत में निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया।पुलिस ने बयान दर्ज करने के बाद शुभम और उसके साथियों पर एफआईआर दर्ज कर ली है।

स्कार्पियो गाड़ी में आए और की मारपीट

अगले दिन , जब योगेश सुनील वर्मा के श्रीराम प्रॉपर्टी के ऑफिस के बाहर बैठे थे, तभी दीपक का भतीजा शुभम अपने 4-5 साथियों के साथ काली स्कॉर्पियो गाड़ी में वहां पहुंचा। शुभम ने आते ही धमकाते हुए अपने चाचा दीपक से झगड़े की बात पर योगेश से मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने लोहे की रॉड और ड्रम से सिर पर वार किए। देर तक मारपीट चलती रही, कुछ लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की। बाद में योगेश को गंभीर हालत में निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया।पुलिस ने बयान दर्ज करने के बाद शुभम और उसके साथियों पर एफआईआर दर्ज कर ली है।

छात्रों ने तिलकनगर थाने के बाहर किया प्रदर्शन, केस दर्ज

कृषि कालेज के डीन के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग

इंदौर (नगर संवाददाता)। शासकीय कृषि कॉलेज के बाहर बुधवार को प्रदर्शन करने पर तिलक नगर पुलिस ने प्रदर्शनकारी राधे जाट के खिलाफ केस दर्ज किया है। गुरुवार को कॉलेज के स्टूडेंट्स ने राधे जाट के नेतृत्व में कृषि कॉलेज से तिलक नगर थाने पहुंचे। यहां उन्होंने कॉलेज के डीन के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स पैदल मार्च निकालकर कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना देने वाले थे, लेकिन थाने पर पुलिस के आश्वासन के बाद उन्होंने पैदल मार्च और कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना देना निरस्त कर दिया। दरअसल, कॉलेज के छात्र डीन को हटाने की मांग कर रहे हैं। बुधवार को भी उन्होंने कॉलेज गेट पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स का कहना है कि कॉलेज के डीन प्रो. भरत सिंह को हटाया जाए। कुछ समय पहले उनकी शिकायत कुलपति से की गई थी, तब से ही वे स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ने डीन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कॉलेज गेट पर प्रदर्शन की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। स्टूडेंट्स को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। तिलक नगर पुलिस ने प्रदर्शन करने के मामले में राधे जाट के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। इधर राधे जाट के खिलाफ हुई कार्रवाई से नाराज कालेज के छात्र गुरूवार को तिलकनगर थाने पहुंचे और वहां घंटो तक प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए डीन के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपा। पुलिस ने स्टूडेंट्स को मामले में जांच का आश्वासन दिया।

मनचला गार्ड, पीछा करते हुए पहुंच गया राजस्थान

महिला ने दर्ज कराया प्रकरण

इंदौर (नगर संवाददाता)। पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर छेड़छाड़ का केस दर्ज किया है। महिला के मुताबिक उसके घर के पास में निजी बैंक में कार्यरत एक गार्ड उस पर गलत नजर रखता है। वह आये दिन पीछा करता है। हद तो तब हो गई जब वह पीछा करते हुए राजस्थान में खाटूश्याम तक पहुंच गया। आजाद नगर पुलिस ने बताया कि 38 साल की शादीशुदा महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। पवन पांडेय एक निजी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। उसके खिलाफ छेड़छाड़ और पीछा करने के मामले में केस दर्ज किया गया है। जिस बैंक में पवन बैंक गार्ड है, वह महिला के घर के पास ही है। आरोप है कि महिला जब भी घर से बाहर जाती है ।

फिरौती के लिए अपहरण करने वाले चार साल बाद पकड़ाए

इंदौर। चार साल पहले फिरौती के इरादे से युवक का अपहरण करने वाले आरोपियों को देहात पुलिस ने चार साल बाद भोपाल से घेराबंदी दबोचा है। गत 9 मार्च 2021 को फरियादी रविन्द्र आंजना निवासी बोरखेड़ी का आरोपी अवतेश जायसवाल व उसके साथियों ने अपहरण कर लिया था। रविन्द्र ने कार से कूदकर खुद को बचा लिया। इस मामले में किशनगंज पुलिस द्वारा अपहरण का प्रकरण दर्ज किया गया, जिसके बाद से ही आरोपियों की तलाश की जा रही थी।

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार मोहम्मद अमीन पिता मरहूम मोहम्मद याकूब, निवासी 84 टाटपट्टी बाखल, इंदौर (म.प्र.) के निर्देशानुसार, मैं यह विधिक सूचना सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर रहा हूँ कि वे 88, सुपर पैलेस कॉलोनी, खजराना, इंदौर (म.प्र.) के वैध स्वामी एवं एकमात्र स्वामित्वधारी हैं। यह मकान मेरे पक्षकार की विधिपूर्वक पंजीकृत संपत्ति है, जिसका ई-पंजीयन क्रमांक एमपी-17914202321257762 3 है और इसके स्वामित्व से संबंधित सभी वैध दस्तावेज, रजिस्ट्री, संपत्ति कर रसीद आदि उनके पास सुरक्षित उपलब्ध हैं।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने अपने स्वामित्व के इस मकान को किसी भी व्यक्ति को किराये पर नहीं दिया है और न ही किसी को इसके उपयोग की कोई अनुमति प्रदान की है। मेरे पक्षकार ने इस मकान के लिए स्वयं किसी विद्युत कनेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं बताई है और न ही किसी अन्य व्यक्ति को उनके स्वामित्व वाली संपत्ति पर विद्युत कनेक्शन लेने के लिए अधिकृत किया है। पूर्व में, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इस मकान पर विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया गया था, जिसकी शिकायत मेरे पक्षकार ने विभाग में की थी। तत्पश्चात, विभाग द्वारा इसे अवैध मानते हुए विद्युत कनेक्शन को हटा दिया गया था। अब पुनः किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इस मकान पर विद्युत कनेक्शन स्थापित करने अथवा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाता है, तो यह पूर्णतः अवैध, अस्वीकार्य एवं कानूनी कार्यवाही योग्य होगा। मेरे पक्षकार की संपत्ति पर बिना उनकी अनुमति के कोई भी विद्युत कनेक्शन पुनः नहीं जोड़ा जाए, क्योंकि यह मकान खाली है और वर्तमान में किसी भी किराएदार अथवा अन्य व्यक्ति को उपयोग हेतु नहीं दिया गया है।

अतः यह सर्व साधारण, विद्युत विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि बिना मेरे पक्षकार की लिखित अनुमति के यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस मकान पर कोई विद्युत कनेक्शन पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया, तो यह पूर्णतः अवैध एवं अस्वीकार्य होगा तथा मेरे पक्षकार इस संबंध में उचित वैधानिक एवं कानूनी कार्यवाही हेतु बाध्य होंगे।

सो, समस्त व्यक्तियों एवं संबंधित विभागों को इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से आगाह किया जाता है कि वे मेरे पक्षकार के इस स्वामित्व वाले मकान पर किसी भी प्रकार का अनाधिकृत हस्तक्षेप करने से बचें, अन्यथा विधिसंगत कार्रवाई की जाएगी।

ज़िमाम खान
115 अशोका कॉलोनी , माणिकबाग के पास इंदौर (म.प्र.),
9303767670, khanzimam0206@gmail.com

परदे के पीछे के खिलाड़ी अभी भी सामने नहीं आए

करोड़ों के ड्रेनेज घोटाले का मामला

इंदौर (नगर संवाददाता)। नगर निगम में ड्रेनेज घोटाले के मामले में एक और एफआईआर दर्ज होने के बाद खलबली मच गई है। पुराने मुर्दे फिर जिंदा हो गए हैं और उन मुद्दों पर सवाल-जवाब होने लगे हैं, जो पहले भी दबा दिए गए थे।

नगर निगम में सौ करोड़ से ज्यादा के ड्रेनेज घोटाले के मामले में एमजी रोड पुलिस ने साजिद खान सहित छह ठेकेदारों को मुलजिम बनाया था, जिसमें राहुल और उसकी पत्नी भी शामिल थी। इसके अलावा नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी आरोपी बनाए गए थे। इस मामले की जांच नगर निगम के इंजीनियर अभय राठौर पर आकर टिक गई थी। राठौर को मुलजिम बनाने के बाद उस पर पच्चीस हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। पुलिस ने राठौर को एटा (यूपी) से गिरफ्तार कर लिया था। राठौर पर पानी चोरी का केस भी दर्ज किया गया था और उसकी संपत्ति की भी जानकारी निकाली गई थी। रिमांड पर लेने के बाद उसे अदालत में पेश कर दिया था, जहां से जेल भेज दिया था। राठौर ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। उसका ये कहना था कि ट्रेंचिंग ग्राउंड का घोटाला पकड़ने के कारण उस पर आरोप लगे हैं, उसने जो शिकायत की थी, उसे दबा दिया गया। हाल ही में पुराने ठेकेदार साजिद खान के खिलाफ एक और फर्जी बिल के जरिए पैसा निकालने का मामला सामने आते ही हलचल मच गई है। शुरुआत में ये घोटाल 2 से 5 करोड़ के बीच लग रहा था, लेकिन जैसे ही कहानी आगे बढ़ी तो सौ करोड़ के पार हो गया। जांच में जो पता चला है कि उसमें ये बात कही गई है कि 414 फर्जी बिलो के जरिए 102 करोड़ से ज्यादा का घोटाला उन्होंने किया है। अभी तक 148 बिलों की ही जांच हो पाई है। बाकी मामलों में कहानी आगे नहीं बढ़ पाई है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से पैसा निकाला गया था, वो चौंकाने वाला था और बड़े अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए गए थे, क्योंकि नगर निगम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उसके बावजूद भी पैसों का भुगतान कर दिया गया। नियम ये रहता था कि बिल पास होने के लिए ट्रेजरी जाते थे और उसके बाद एक टीम जांच करती थी कि काम हुआ है या नहीं, लेकिन फर्जी फर्मों के जरिए जो बिल लगाए जाते थे, उसकी जांच नहीं होती थी और आला अधिकारियों की रजामंदी के बाद बिल पास कर दिए जाते थे और ठेकेदारों के खातों में पैसा ट्रांसफर हो जाता था। ठेकेदारों ने ये बात कही थी, उन्हें तो नाममात्र का ही पैसा मिला है, बाकी पैसा तो अधिकारियों को बंट जाता था, जिसमें अकाउंटेंट से लेकर इंजीनियर और दूसरे अधिकारी भी शामिल थे। इस पूरे खेल ने अधिकारियों को भी क्लीन चिट दे दी है, क्योंकि एकमात्र अभय राठौर के अलावा दूसरा कोई भी अधिकारी मुलजिम नहीं बनाया गया है, जबकि राठौर ने खुद ये बात की थी कि मैं तो मोहरा हूं, परदे के पीछे के खिलाड़ी और हैं, लेकिन कई अधिकारियों की कुर्सी इधर-उधर खिसकने का डर था और उन पर भी आरोप सिद्ध हो सकते थे, इसलिए मामले को दबा दिया गया है। पुलिस ने तो ये कहकर कहानी निपटा दी कि उनकी जांच में कोई और शामिल नहीं है, लेकिन कहा ये जा रहा है कि नगर निगम में जो बिल पास हुए हैं, उसमें अधिकारी भी शामिल हैं। उनकी जांच के नमूने भी भेजे गए थे, लेकिन उसमें भी कोई जानकारी हासिल नहीं हुई है। दस्तखत के नमूने के आधार पर मुलजिम बनाए जाना थे, लेकिन कुछ ऐसी बात नहीं हो पाई, जिससे आरोपी बढ़ सके। एक बार फिर ये मुद्दा सामने आ गया, जिसके बाद अधिकारियों की सांसें ऊपर-नीचे हो गई है,क्योंकि कई अधिकारियों का रोल इसमें दिखाई दे रहा है और वो बचने की कोशिश में हैं। अब देखना ये है कि वो लपेटे में आते हैं, या उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है, क्योंकि घोटाला सौ करोड़ से ज्यादा का है।